



## 36387 - एक कुर्बानी कितने लोगों की तरफ से काफी होगी ?

### प्रश्न

मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कुल आठ लोग हैं, तो क्या हमारी ओर से एक कुर्बानी काफी है या हर व्यक्ति के लिए एक कुर्बानी है ? यदि एक कुर्बानी काफी है तो क्या मेरा और मेरे पड़ोसी का एक कुर्बानी में साझीदार होना जायज़ है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

#### प्रथम :

एक बकरी की कुर्बानी आदमी और उसके घर वालों तथा मुसलमानों में से जिसे वह शामिल करना चाहे, उन सब की ओर से काफी होगी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस हदीस के आधार पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सींगों वाला एक मेढ़ा लाने का आदेश दिया जो काले पैर, काले पेट और काली आँखों वाला हो। उसे आप के पास लाया गया ताकि आप उसकी कुर्बानी करें। आप ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया : ऐ आयशा छुरी लाओ। चुनाँचे वह छुरी लेकर आई और आप ने छुरी ले ली और मेढ़े को लिटाया और उसे ज़ब्ह करने के लिए तैयार होने लगे फिर कहा : अल्लाह के नाम से ज़ब्ह करता हूँ, ऐ अल्लाह मुहम्मद और मुहम्मद के परिवार की ओर से और मुहम्मद की उम्मत की ओर से स्वीकार कर।" फिर आप ने उसकी कुर्बानी की।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अबू अय्यूब अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि : "नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में आदमी अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से एक बकरी ज़ब्ह करता था। चुनाँचे वे खुद खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे।" इसे इब्ने माजा और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है। तथा शैख अल्बानी ने भी सहीह तिर्मिज़ी (हदीस संख्या: 1216) में इसे सहीह करार दिया है।

अतः यदि आदमी अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से एक बकरी या भेड़ की कुर्बानी करता है, तो वह कुर्बानी उसके घर वालों में से उन सब की ओर से काफी है जिन की ओर से उसने नीयत की है चाहे वह ज़िन्दा हो या मुर्दा। यदि वह किसी सामान्य या विशेष चीज़ की नीयत न करे तो उसके घर वालों में हर वह व्यक्ति दाखिल होगा जिसे यह शब्द प्रथानुसार या भाषा की दृष्टि से शामिल होता है। प्रथानुसार वह पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों में से उन सबको संदर्भित करता है जिनके खर्च का वह ज़िम्मेदार है। और भाषा की दृष्टि से उसके हर उस संबंधी को शामिल है जो उसकी संतान,



उसके पिता की संतान, उसके दादा और उसके परदादा की संतान से है।

तथा ऊँट या गाय का सातवाँ भाग उन लोगों की ओर से काफी होगा, जिनकी ओर से एक बकरी काफी होती है। यदि आदमी अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से ऊँट या गाय के सातवें भाग की कुर्बानी करे तो वह काफी है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हदी (हज्ज की कुर्बानी) में ऊँट और गाय के सातवें भाग को बकरी के बराबर करार दिया है। अतः इसी तरह कुर्बानी में भी होगा, क्योंकि इस विषय में हदी और कुर्बानी के बीच कोई अन्तर नहीं है।

द्वितीय :

एक बकरी दो या उससे अधिक व्यक्तियों की ओर से काफी नहीं है कि दो लोग उसे खरीदें और दोनों साझी होकर उसकी कुर्बानी करें, क्योंकि यह किताब व सुन्नत के अन्दर वर्णित नहीं है। इसी तरह आठ या उससे अधिक लोग एक ऊँट या गाय में साझी नहीं हो सकते (परंतु एक ऊँट या गाय में सात लोगों का साझी होना जायज़ है); क्योंकि इबादतें तौक़ीफी हैं (अर्थात् पूजा के कृत्यों का आधार कुरआन और सुन्नत के निर्धारण पर है) इस में निर्धारित मात्रा और विधि से आगे बढ़ना जायज़ नहीं है। और यह मुद्दा सवाब (पुण्य) में साझेदारी के अतिरिक्त है, क्योंकि सवाब में साझेदारी करना बिना किसी सीमा के प्रमाणित है जैसा कि इसका उल्लेख हो चुका है।